सहायक वाचन

गणित की वैकल्पिक विधियाँ

कक्षा: 1 से 5

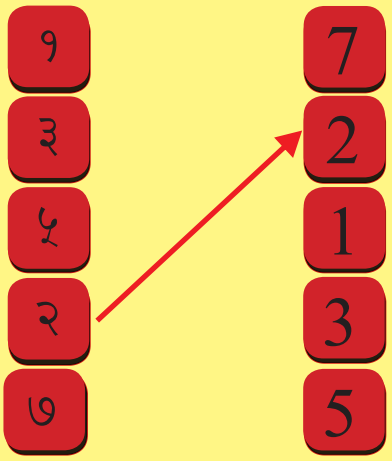

Πρϑˆ ̈Ï ύςϋρ 'Ω 'ˆŸ

Θ	ϋρ	ϰϖ'Ωώ'ΩΞρ	Μ	εΩΠ	(1+9 =10)
θ	ϋρ	ϰϖ'Ωώ'ΩΞρ	λ	εΩΠ	(2+8 =10)
Ι	ϋρ	ϰϖ'Ωώ'ΩΞρ	Λ	εΩΠ	(3+7 =10)
ι	ϋρ	ϰϖ'Ωώ'ΩΞρ	κ	εΩΠ	(4+6 =10)
Κ	ϋρ	ϰϖ'Ωώ'ΩΞρ	Κ	εΩΠ	(5+5 =10)

ΐΟϖή ώ 'Νήϋ ώϖώΗρ ς, `·ζρρ

ΐΟϖή `·ζρρ ΐΟϖή `·ζρρ

ώ 'ϖφρ `·ζρρ ϋϖ ´ρ,ώΦΕϵ

म.प्र. राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
सा विद्या या विमुक्तये

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

भारत का संविधान

भाग 4क

नागरिकों के मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 51 क

मूल कर्तव्य - भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह-

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;

(ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे;

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों;

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे;

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू सके; और

(ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

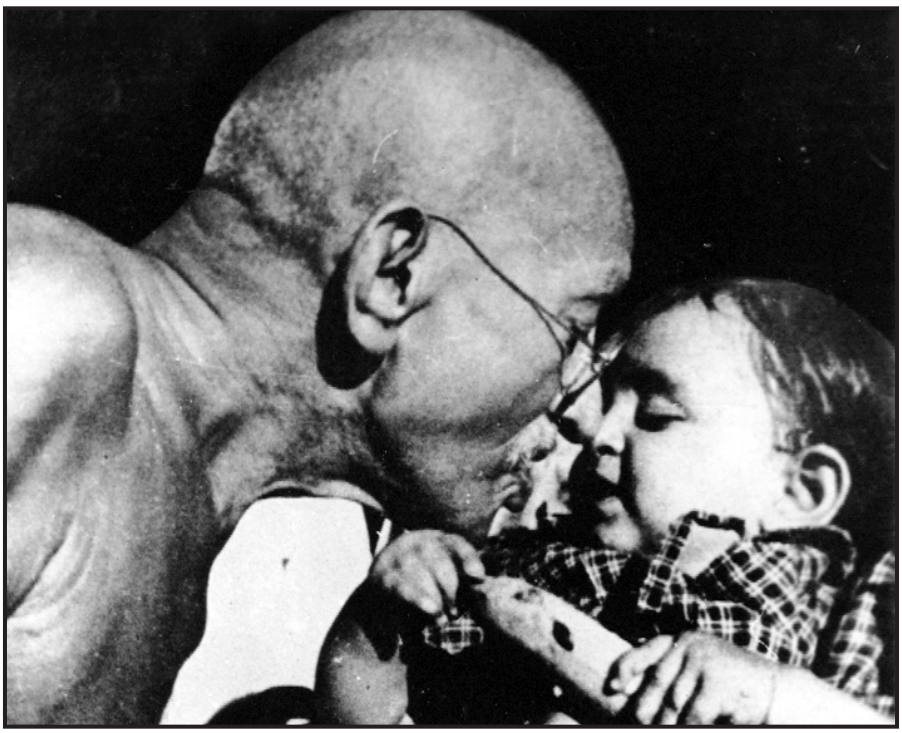

विद्यार्थियों को ऐसी तालीम दी जानी चाहिए जिससे वे संसार के महान धर्मों को आदर के साथ सीख सकें।

–महात्मा गांधी

★

राष्ट्रीय गीत

वन्दे मातरम्

श्री बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय : आनन्दमठ

वन्दे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्
शस्यश्यामलाम् मातरम्।। वन्दे०।।
शुभ्र ज्योत्स्ना - पुलकित यामिनीम्,
फुल्ल कुसुमित - द्रुमदल - शोभिनीम्,
सुहासिनीम्, सुमधुर भाषिणीम्,
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।। वन्दे०।।

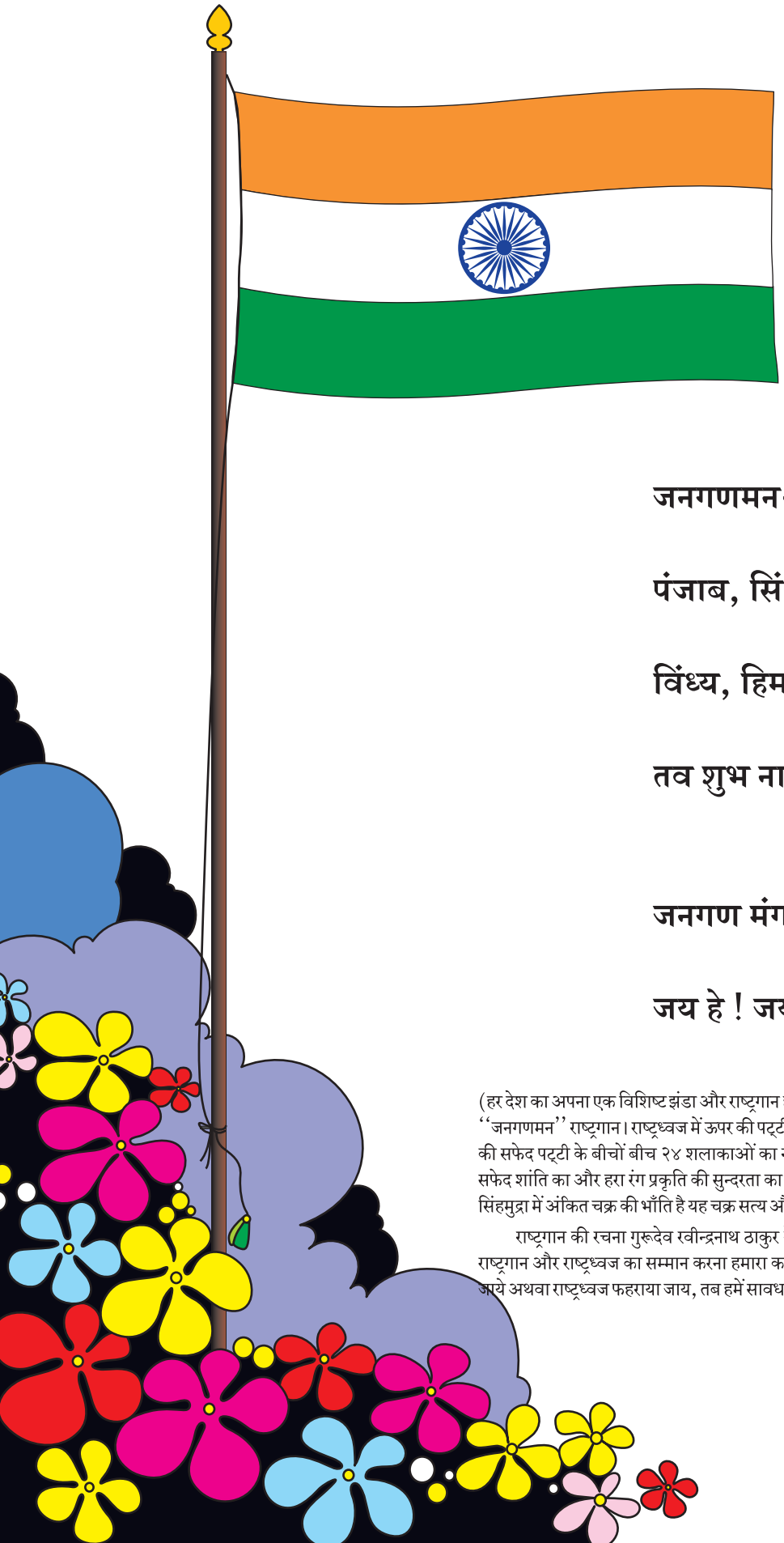

राष्ट्रगान

जनगणमन-अधिनायक जय हे,
भारत-भाग्य-विधाता !
पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा,
द्राविड़, उत्कल, बंग,
विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा
उच्छल जलधि-तरंग !
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष माँगे,
गाहे तव जयगाथा।
जनगण मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य-विधाता।
जय हे ! जय हे ! जय हे !
जय जय जय, जय हे !

(हर देश का अपना एक विशिष्ट झंडा और राष्ट्रगान होता है। ''तिरंगा झंडा'' भारतवर्ष का राष्ट्रध्वज है और ''जनगणमन'' राष्ट्रगान। राष्ट्रध्वज में ऊपर की पट्टी केसरिया रंग की और नीचे की हरे रंग की होती है। बीच की सफेद पट्टी के बीचों बीच २४ शलाकाओं का नीले रंग में गोल-चक्र होता है। केसरिया रंग त्याग का, सफेद शांति का और हरा रंग प्रकृति की सुन्दरता का प्रतीक है। चक्र का स्वरूप अशोक की सारनाथ-स्थित सिंहमुद्रा में अंकित चक्र की भाँति है यह चक्र सत्य और सब धर्मों का प्रतीक है।

राष्ट्रगान की रचना गुरूदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने की थी। इसमें संपूर्ण देश के लिए मंगल-कामना है। राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। जब राष्ट्रगान गाया जाय या उसकी धुन बजाई जाये अथवा राष्ट्रध्वज फहराया जाय, तब हमें सावधान की स्थिति में खड़े होकर इसे सम्मान देना चाहिए।)